

75159

राजस्थानसरकार

कार्यालय जिलाकलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

Email:-dm-pra-ri@nic.in

Ph- 01478-223366

क्रमांक आ.प्र. एवं सहा. / आंधी-तूफान / स्वीकृति / 2023-24 / 1568-73

दिनांक: 5/03/2024

-: प्रशासनिक स्वीकृति :-

तहसील कार्यालय धरियावद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पशु शेड ढहने के कारण हुई पशुक्षति पर पीड़ित को आर्थिक सहायता हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है। अतः उपखण्ड अधिकारी धरियावद/तहसीलदार धरियावद की अनुशंषा के आधार पर एवं राज्य आपदा मोचन कोष और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के वर्ष 2022-23 से 2025-26 के नवीन संशोधित मानदण्डों के बिन्दु संख्या क06(प) में वर्णित प्रावधानानुरूप पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग प्रतापगढ़ की अनुशंषा अनुसार पीड़ित को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पशु शेड ढहनेके कारणहुई पशुक्षति पर 37500/- रुपये की आर्थिक सहायता एतद् द्वारा स्वीकृति की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01.	श्री पुनिया पिता लालीया मीणा निवासी शिवपुरी प.म. केशरियावद तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 20.09.2023 को आंधी-तूफान व अतिवृष्टि से पशु शेड ढहने के कारण हुई पशुक्षति (एक गाय की मृत्यु) होने पर ।	37500 / -रु.
कुल योग			37500 / -रु.

(अक्षरे सेतीस हजार पांच सौ मात्र)

नोट:- राशि का आहरण रिवोल्विंग मद में आवंटित राशि से निम्न लेखा मद से किया जायेगा:

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 02-बाढ़/चक्रावात, 117-पशुधन क्रय करने के लिए किसानों को सहायता, (02)-बाढ़ प्रभावित पशुधन हानि पर पशुधन क्रय हेतु सहायता (01)-बाढ़ से प्रभावित पशुधन हानि पर सहायता, 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे। आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे। स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

(डॉ. अंजलि राजोरिया)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी धरियावद।
3. तहसीलदार, धरियावद।
4. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
5. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. संबंधित श्री पुनिया पिता लालीया मीणा निवासी शिवपुरी प.म. केशरियावद तहसील धरियावद।

Signature valid

RajKaj Ref
5868930

Digitally signed by जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़
Magistrate
Date: 2024.03.05 10:56:39 IST
Reason: Approved